न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 158/2017

वेदप्रकाश पुत्र भजनलाल जाति बिश्नोई निवासी 2डी साधूवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर। —अपीलार्थी

बनाम

1. धीमारराम पुत्र पोलाराम जाति बिश्नोई निवासी चक 2डी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

2. स्टेट आफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। —रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 225 राज.काश्त. अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर दिनांक 29.09.2017

उपस्थितिः—
श्रीमती मंजू गुप्ता, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री मनोहरलाल सहारण, अभिभाषक रेस्पों.
श्री महावीर धारणीया राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 18.06.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/रेस्पों. ने उपखण्ड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए का प्रा.पत्र पेश कर चक 2 डी छोटी के मु.नं. 53 के कि.नं. 25 व 24 में 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। अप्रार्थी सं. 1 ने जबाब प्रा.पत्र पेश कर कथन किया कि मौका पर कोई रास्ता चालू नहीं है। प्रार्थी सुविधा के लिए रास्ता स्वीकृत नहीं करवा सकता। अतः निवेदन है कि प्रा.पत्र खारिज किया जावे।

अधी. न्यायालय ने सुनवाई करने के पश्चात दिनांक 29.09.2017 को प्रा.पत्र स्वीकार कर आवेदित रास्ता स्वीकृत कर रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में डी. एल.सी. की दर से दोगुणी राशि दिलाने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी ने अपनी ढाणी में आने–जाने

18/6/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

हेतु रास्ता स्वीकृत कराने हेतु प्रा.पत्र पेश किया। प्रार्थी ने 2–2 बिस्वा रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया जो बहुत अधिक है। यदि 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जाता एवं भूमि के बदले भूमि दिलायी जाती तो उचित होता। अतः निवेदन है कि जो रास्ता स्वीकृत किया गया है। उसमें संशोधन करते हुए 1–1 बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे एवं रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में मुआवजा के बदले भूमि दिलवायी जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि 251ए में मुआवजा के रूप में भूमि दिलाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसके अलावा अपीलांट ने ऐसा कोई कथन नहीं किया कि रेस्पों. को अपनी भूमि में जाने हेतु कोई अन्य रास्ता उपलब्ध हो। अपीलांट ने स्वीकृतशुदा रास्ते को निरस्त करने का अनुतोष नहीं चाहा है बल्कि संशोधन का अनुतोष चाहा है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलांट/अप्रार्थी ने अपनी अपील में यह कहीं अंकित नहीं किया कि प्रार्थी/रेस्पो. को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध हो। अपीलांट द्वारा रास्ता में आने वाली भूमि के बदले में मुआवजा के रूप में भूमि दिलाने एवं स्वीकृत रास्ता को 2–2 बिस्वा के स्थान पर 1–1 बिस्वा करने का अनुतोष चाहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251ए में मुआवजा के रूप में भूमि के बदले भूमि दिलाये जाने का कोई प्रावधान नहीं है एवं अधी. न्यायालय ने तहसीलदार की रिपोर्ट को दृष्टिगत रखते हुए राज.काश्त.अधि. की धारा 251ए के मध्यनजर जो रास्ता स्वीकार किया है उसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.09.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.06.2018 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/6/18

(प्रेमप्रकाश परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर